

दिनांक	आज्ञा-पत्र
18/11/19	<p>वकील वकील हाजील प्रतिवादी नं. 1, 5 वीं तारीख कोर्ट के सुनने के लिए आदेश किया है। प्रतिवादी नं. 2, 4, 6, 7, 8, 9 व 14 को सुनने के तारीख को Court के सुनने के लिए आदेश किया है। अतिरिक्त आदेश (अपने) को सुनने के लिए 26/11/19 को सुनने के लिए।</p> <p style="text-align: right;">- P.Y</p>
26/11/19	<p>वकावली पेश हुई। उभयपक्ष के अधिवक्ता वकील उच्च कोर्ट के आदेश के अनुसार पुराने-बाहरी कोर्ट के आदेश के अनुसार वकावली वादों के तारीख / जवाब / सामग्री सुनने के लिए 21/11/19 को पेश की।</p> <p style="text-align: right;">- P.Y</p>
7/11/19	<p>प्रवावली पेश हुई/वकील उभयपक्ष उपस्थित है P.O. Sb. अवकाश पर/चुनाव कार्य में व्यस्त/यात्रा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। प्रवावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 1.9.12/12/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">- P.Y</p>
19/12/19	<p>वकावली पेश हुई। वकील वादी व वादी में से कोई उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में वकील वादी व वादी स्वयं को बार-बार हावाज लगावाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। न्यायालय समय में वकील वादी व वादी को कोर्ट पर उच्च कोर्ट के आदेश के अनुसार पुराने-बाहरी हावाज लगावाई गई। कोई भी उपस्थित नहीं। अतः वकील वादी व वादी स्वयं के उपस्थित नहीं होने पर वकावली इसी स्तर पर अदम पेश की। अदम हाजीरी में खानि की जाती है। वकावली केवल सुनार होकर बाद तकनीक हाजील पर पेश की।</p> <p style="text-align: right;">- P.Y उपसंहार अधिकारी घोड़ म सीकर</p>

